पुलिस आदेश संख्या 188 /86

बिहार पुलिस हस्तक नियम 515 एवं पुलिस आदेश संख्या 105 में जिला पुलिस बल से रेल पुलिस ... पदाधिकारियों/आरक्षीकर्मियों के पदस्थापन का प्रावधान है । इन प्रावधानों के अंतर्गत यह विनिश्चित नहीं है कि रेल पुलिस बल में जिला पुलिस बल से कितनी आयु तक के अवर आरक्षी पदाधिकारी/आरक्षीकर्मियों का पदस्थापन किया जाना चाहिए ।

1975 के एक कार्यकारी आदेश संख्या-5050 दिनांक 8.9.1975 द्वारा रेल पुलिस बल में पदस्थापन की उम्र सीमा 40 वर्ष विनिर्धारित की गयी थी । इस आदेश के तहत रेल पुलिस बल में जिला पुलिस बल के विभागीय प्रोन्नत आरक्षी अवर निरीक्षकों/आरक्षी निरीक्षकों एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों को निर्धारित उम्र सीमा पार कर जाने के कारण पदस्थापित करने का कम अवसर मिल पाता है ।

उम्र के अलावे पुलिस पदाधिकारियों की कार्य में अभिरूचि (Mental aptitude) एवं शारीरिक स्वास्थ्य (Physical fitness) पर भी रेल पुलिस में स्थानांतरण के लिए विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

अतः सभी कोटि के पदाधिकारियों के लिए जिला पुलिस बल से रेल पुलिस बल में स्थानांतरण हेतु उम्र सीमा पर प्रतिबंध समाप्त किया जाता है । यदि कोई पदाधिकारी शारीरिक एवं मानसिक रूप से दुरूस्त है एवं पुलिस कार्य में सक्षम है तो 40 वर्ष से अधिक उम्र होने पर भी उसे रेल पुलिस में स्थानांतरित किया जा सकता है ।

(शशि भूषण सहाय),
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार,
पटना ।

ज्ञापांक 5769 /पी2 महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय,
7-6-1-86 (पार्ट-2) बिहार, पटना ।
पटना, दिनांक-22 सितम्बर, 86

प्रतिलिपि अग्रसारित :-

1 -सभी आरक्षी महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक/आरक्षी अधीक्षक/समादेष्टा को सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु ।

2- आरक्षी मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु ।

3- म0नि0 कार्यालय के गजट पदाधिकारी/सभी निबंधक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु ।

4- पी-2 प्रशाखा को पुलिस गजट में प्रकाशनार्थ ।

21/9/86

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।